निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 44/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

गिरधारी लाल सांवरिया पुत्र स्व. हरिनारायण सांवरिया, निवासी चार दरवाजा बाहर, मण्डी खटीकान, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

साहिल सांवरिया निवासी कालका माता के मन्दिर के सामने, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.09.2024 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर, जिला जयपुर प्रकरण संख्या 15/2024 ब–उनवानी गिरधारी लाल सांवरिया बनाम साहिल सांवरिया व अन्य।

उपस्थित :–

प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.10.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर, जिला जयपुर, जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 15/2024 ब–उनवानी गिरधारी लाल सांवरिया बनाम साहिल सांवरिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी की तलबी जरिये समाचार पत्र किये जाने हेतु निवेदन करने पर प्रत्यर्थी का नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्रकाशित होने के पश्चात भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। तहत रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस प्रार्थी सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी का विवाह सुमित्रा पुत्री खेमराज खींची निवासी कलालवाटी खटिकवाडा, दक्षिणी आयड, उदयपुर के साथ धर्म व रीति–रिवाजों के दिनांक 04.12.1992 को उदयपुर में सम्पन्न हुआ था। उक्त विवाह के पश्चात अपीलार्थी एवं श्रीमती सुमित्रा से प्रत्यर्थी का जन्म हुआ। श्रीमती सुमित्रा प्रत्यर्थी जन्म के पश्चात बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलार्थी से अपने समस्त वैवाहिक संबंध समाप्त करके अपने पिता के यहां निवास करने लग गयी थी जबकि अपीलार्थी लगातार प्रत्यर्थी एवं अपनी पत्नी सुमित्रा से सम्पर्क में रहा तथा उनकी हारी बीमारी में, नव निर्माण मकान में हुये खर्चे में ओर जरूरतमंद सामान में खर्चा किया तथा विपक्षी की शिक्षा दीक्षा में पूर्ण सहयोग अपीलार्थी करता रहा किन्तु श्रीमती सुमित्रा ना तो अपीलार्थी के साथ जयपुर आकर रही और ना ही प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के पास आकर रहने दिया, जबकि प्रत्यर्थी की पूर्ण शिक्षा का व्यय अपीलार्थी ने

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वहन किया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी आई.आई.टी. बीटेक की उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका हैं। अपीलार्थी सेवानिवृत्ति के बाद काफी बीमार रहने लग गया तथा उक्त बिमारी के कारण प्रार्थी को 2018 में हृदय रोग के कारण बाईपास सर्जरी करवानी पडी तथा कई महिनों तक अपीलार्थी बेड पर रहा तथा प्रार्थी बाई आँख में रेटीना में खराबी आने के कारण अपीलार्थी को बाई आँख का ऑपरेशन करवाना पड़ा जिस कारण अपीलार्थी को लगातार अपने घर में ही बीमारी की अवस्था में बेड पर रहना पडा। अपीलार्थी शारीरिक रूप से काफी कमजोर व अक्षम है। प्रत्यर्थी अपीलार्थी का पुत्र है तथा पुत्र होने के नाते प्रत्यर्थी की यह नैतिक जिम्मेदारी व दायित्व है कि वह अपीलार्थी की वृद्धावस्था में समुचित रूप से देखभाल करे। अपीलार्थी द्वारा बार–बार कहने के उपरान्त भी प्रत्यर्थी न तो अपीलार्थी के पास आकर रह रहा है तथा ना ही मिलने आता है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी ने उपस्थित होकर माता एवं अपीलार्थी के विवाह विच्छेद दिनांक 01.08.2018 की प्रति पेश कर अपीलार्थी की सार संभाल व देखभाल करने से इन्कार किया है। श्रीमती सुमित्रा व परिवारजन, प्रत्यर्थी व अन्य ने आपस में साजिश व षडयन्त्र करके संबंधित पोस्टमेन से मिलीभगत कर अपीलार्थी के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर से पारिवारिक न्यायालय उदयपुर का नोटिस तामील करवाया था जो अवैध व गैर कानूनी है। उक्त लोगो ने सक्षम न्यायालय को गुमराह करके तथ्य छिपा कर सक्षम न्यायालय से दिनांक 01.08.2018 को विवाह विच्छेद का एक पक्षीय तलाक का फैसला षडयंत्रपूर्वक अपने पक्ष में करवा लिया था जो अपीलार्थी की जानकारी में अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत जवाब देने पर संज्ञान में आया है। अपीलार्थी समय समय पर उदयपुर अपनी पत्नी को लेने के लिये जाता था तो अपीलार्थी को ससुर व इनके परिवारजन अपीलार्थी पर दबाव बनाते कि अपीलार्थी अपनी मॉ, बहन व अन्य परिजनों को छोडकर उदयपुर में मकान बना कर रहे व अपना जयपुर से उदयपुर ट्रांसफर करवाने दबाव डालते थे और दुर्व्यवहार करते थे। अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी एवं पुत्र को आवश्यकतानुसार बाजार से सम्पूर्ण खरीददारी करवाता है और आवश्यकतानुसार नकदी देकर आता था। अपीलार्थी ने एक अच्छा पति व पिता होने के सभी दायित्वों का निर्वहन किया है, लेकिन प्रत्यर्थी और उसकी माता ने कभी भी अच्छे पुत्र व पत्नी का धर्म नहीं निभाया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी व उसकी माँ के रहने के लिये मकान, खाने पीने, पहनने व जीवन की सभी मूलभूत सुविधाओं का निर्वहन किया जाता रहा है। प्रत्यर्थी प्रारम्भ में उत्तरी आईड उदयपुर स्थित स्कूल में पढता था जिसे अपीलार्थी ने अच्छी शिक्षा के लिये दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर में प्रवेश दिलवाया था ओर जब भी अपीलार्थी पेशी पर जाता था तो प्रिंसिपल के कमरे में प्रत्यर्थी से मिल कर आता था। प्रत्यर्थी की माता ने परिवारजनों के दबाव में आकर अपीलार्थी व उसकी मॉ, बहनो तथा भाई आदि के विरूद्ध पुलिस थाना भुपालपुर, उदयपुर में अपाराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें पुलिस थाना भुपालपुरा, उदयपुर में इनके द्वारा दर्ज अपाराधिक मुकदमे में बाद अनुसंधान एफ आर लगा दी गई है। इसके उपरान्त माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग क्रम–1 (उत्तर) उदयपुर के समक्ष एक विशेष याचिका दायर की और माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया। प्रत्यर्थी की माता ने दिनांक 16.07.2010 को अपीलार्थी के साथ एक समझौता पत्र 100/–रूपये के तादादी स्टांप पर निष्पादित किया जिसकी शर्तों में दोनो पक्षकार अपने पुत्र साहिल की देखभाल, सुशिक्षा दीक्षा करवायेगें, दोनो पक्ष विश्वासपूर्वक पति पत्नी के धर्म का एक दूसरे के प्रति पूर्ण सद्भाव व निष्ठा से अनुपालना करेगें, गिरधारीलाल की वर्तमान में जयपुर में नियुक्ति है वे सुमित्रा को जयपुर ले जाने का दबाव नही डालेगें, गिरधारीलाल प्रतिमाह उदयपुर खर्च हेतु 20,000/–रूपये प्रतिमाह सुमित्रा को देते रहेगें एवं गिरधारीलाल की चल व अचल सम्पति की विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती सुमित्रा एवं साहिल बतौर पत्नी व पुत्र रहेगें।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

मूल समझौता पत्र प्रत्यर्थी की माता के कब्जे में है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश पारित कर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के उद्देश्य को समाप्त कर दिया। अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है जिसकी अधीनस्थ अधिकरण ने देखभाल व सेवा सुश्रुषा की कोई व्यवस्था नहीं कर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रतयर्थी को आदेशित फरमाया जावे कि वह अपीलार्थी के सेवा सुश्रुषा व देखभाल करने के आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की माताजी सुमित्रा का पारिवारिक न्यायालय उदयपुर में प्रकरण संख्या 401/2017 मु.दी. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–13 हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत निर्णय दिनांक 01.06.2018 को विवाह विच्छेद स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की माता के मध्य दिनांक 04.12.1992 को सम्पन्न हुए विवाह विच्छेद की एक पक्षीय आज्ञाप्ति पारित की गई है। अपीलार्थी द्वारा पारिवारिक न्यायालय उदयपुर में आवेदन पत्र संख्या 94/2005 मु.दी. अन्तर्गत धारा–7 (1) (छ) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियन गार्जियन एवं वार्डस एक्ट 1860 (अवस्यक पुत्र की अभिरक्षा हेतु) प्रस्तुत करने पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.02.2008 द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर लिखित में कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा पिता का फर्ज व दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है और प्रत्यर्थी की माताजी ने ही पिता का दायित्व निभाया है एवं स्वयं भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है एवं पूर्ण रूप से अपनी माता पर आश्रित है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हम अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा धारा–16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निःशुल्क भेजी जावे। निर्णय की प्रति मय निस्तल मातहत नाता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को सरे इजलास सुना गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner